

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-04092021-229428
SG-DL-W-04092021-229428

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15]	दिल्ली, अगस्त 27—सितम्बर 2, 2021, बृहस्पतिवार/भाद्र 5—भाद्र 11, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 154, 156
No. 15]	DELHI, AUGUST 27—SEPTEMBER 2, 2021, THURSDAY/BHADRA 5—BHADRA 11, 1943	[N.C.T.D. No. 154, 156

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों
की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय पंजीयक सहाकारी समितियाँ
अधिसूचना

दिल्ली, 27 अगस्त, 2021

फा. सं. : 6/14/85/स्था0/सह0/पं. फाइल/1581—1588.—दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहाकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित दिल्ली सहाकारी समितियाँ नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संजय झा, सहायक पंजीयक सहाकारी समितियाँ को उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश एवं नाम से,
राकेश दास, उप सचिव

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 27th August, 2021

No. F.6/14/85/Estt./Coop./PF/1581-1588.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) read with Rule 3(1) of DCS Rules 2007, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Sanjay Jha as Assistant Registrar Cooperative Societies, Delhi to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act and Rules with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
RAKESH DAS, Dy. Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अगस्त, 2021

फा0 संख्या : 6/14/85/स्था0/सह0/पं. फाइल/ 1573-1580.—दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संदीप यादव, सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ को उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश एवं नाम से,
राकेश दास, उप सचिव

NOTIFICATION

Delhi, the 27th August, 2021

No. F.6/14/85/Estt./Coop./PF/1573-1580.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) read with Rule 3(1) of DCS Rules 2007, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Sandeep Yadav as Assistant Registrar Cooperative Societies, Delhi to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act and Rules with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
RAKESH DAS, Dy. Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

फा0 संख्या : 6/14/85/स्था0/सह0/पं. फाइल-IV/1411-1420.—दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राकेश दास, उप पंजीयक सहकारी समितियाँ को उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश एवं नाम से,
रंजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव

NOTIFICATION

Delhi, the 5th August, 2021

No. F.6/14/85/Estt./Coop./Pt. File-IV/1411-1420.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) read with Rule 3(1) of DCS Rules 2007, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Rakesh Das as Deputy Registrar Cooperative Societies, Delhi to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act and Rules with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RANJEET SINGH, Addl. Secy.